अखबार छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

क्योंकि छिपता नही सच

नोएडा

दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हटा प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मिथाइलकोबालामिन, जिसे विटामिन बी 12 भी कहा जाता है, पर प्रतिबंध हटाए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि, शीर्ष खाद्य नियामक ने अभी तक इस पर एक गजट अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे न्यूट्रास्युटिकल निर्माता मुश्किल में हैं।

2021 में FSSAI ने मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की। एफएसएसएआई ने 2016 में जारी एक राजपत्र के माध्यम से मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्पाद को बाद में इसकी सुरक्षा के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दिसंबर 2019 में एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संजय अग्रवाल ने कहा कि मिथाइलकोबालामिन को आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग के लिए यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और अब इसे यूएसपी के पृष्ठ 41 पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन एफएसएसएआई ने मिथाइलकोबालामिन प्रतिबंध को हटाने के लिए गजट अधिसूचना जारी करने के उद्योग के अनुरोधों को नजरअंदाज करना जारी रखा है। एक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार।

अग्रवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एफएसएसएआई को एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने को अपील की, जिससे मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा,

लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिथाइलकोबालामिन को. शिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण जैसे कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मिथाइलकोबालामिन का उपयोग अल्जाइमर रोग और सेंधिशोथ सहित कुछ पोषण संबंधी और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। एक सहायक एजेंट के रूप में, यह तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देकर और ग्लूटामेट-प्रेरित न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोककर न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। हाल के प्रयोगात्मक और नैदानिक अध्ययनों में, साक्ष्य की कई पंक्तियों ने सुझाव दिया है कि मिथाइलकोबालामिन में एनाल्जेसिक गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिथाइलकोबालामिन ने मधुमेह न्यूरोपैथी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और नसों के दर्द में दर्द के व्यवहार को कम कर दिया। मिथाइलकोबालामिन ने तंत्रिका चालन में सुधार किया, तंत्रिका पुनर्जनन में तेजी लाई और घायल प्राथमिक संवेदी न्यूरॉन्स के एक्टोपिक सहज निर्वहन को कम किया। राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) या सहनीय ऊपरी सीमा (टीयूएल) के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। घरेलू बाजार रोगनिरोधी उपयोग के लिए 1500 एमसीजी तक के आरडीए वाले मिथाइलकोबालामिन के विभिन्न ब्रांडों से भरा पड़ा है। अग्रवाल ने कहा कि यह एफएसएसएआई की 1 एमसीजी की अनुशंसित आरडीए का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, स्वीकृत आरडीए मूल्य को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने एफएसएसएआई को बार-बार पत्र लिखकर उत्पाद पर प्रतिबंध हटाने पर प्राधिकरण की राजपत्र अधिसूचना के अभाव में मिथाइलकोबालामिन की उच्च खुराक की आसान उपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगा था। 26 दिसंबर, 2021 को फार्मास्युटिकल सलाहकार को एक संचार में, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव को खाद्य सुरक्षा और मानकों (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा के लिए भोजन) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 16 सितंबर, 2021 को अधिसूचित संशोधनों के माध्यम से उद्देश्य, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और नवीन खाद्य पदार्थ विनियम, 2016 परिणामस्वरूप, खाद्य नियामक ने मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव के लिए उत्पाद लाइसेंस जारी किए हैं। अग्रवाल ने मांग की कि एफएसएसएआई मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करे, जिससे मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की सहनीय ऊपरी सीमा पर दिशानिर्देशों का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने यह भी

डा. संजय अग्रवाल

मांग की कि एफएसएसएआई रोगनिरोधी उपयोग के लिए 500 एमसीजी तक मिथाइलकोबालामिन के आरडीए को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी करे। विटामिन बी 12 का अधिकांश हिस्सा मांसाहारी खाद्य पदार्थों से आता है। वैश्विक अनुशंसित दैनिक भत्ता 2।4 एमसीजी है। भारत में, जहां जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, आरडीए 1 एमसीजी है। न्यूरोलॉजिकल विकारों में थेरेपी और प्रोफिलैक्सिस के लिए मिथाइलकोबालामिन पर अध्ययन मिथाइलकोबालामिन के लिए एफएसएसएआई के आरडीए का खंडन करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सामान्य जीवन जीने के लिए मिथाइलकोबालामिन को प्रतिदिन 500 एमसीजी की खुराक लेनी चाहिए। न्यूरोपैथी के गंभीर मामलों में, 1,500 एमसीजी की दैनिक खुराक सुरक्षित है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क क्षय के इलाज के लिए प्रति दिन 1 मिलीग्राम की खुराक की आवश्यकता होती है।

(लेखक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार और IJM Today के प्रधान संपादक हैं)

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

...क्योंकि छिपता नहीं सच

संपूर्ण दिल्ली प्रदेश

दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हटा प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मिथाइलकोबालामिन, जिसे विटामिन बी 12 भी कहा जाता है, पर प्रतिबंध हटाए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि, शीर्ष खाद्य नियामक ने अभी तक इस पर एक गजट अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे न्यूट्रास्युटिकल निर्माता मुश्किल में हैं।

2021 में FSSAI ने मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की। एफएसएसएआई ने 2016 में जारी एक राजपत्र के माध्यम से मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्पाद को बाद में इसकी सुरक्षा के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दिसंबर 2019 में एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संजय अग्रवाल ने कहा कि मिथाइलकोबालामिन को आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग के लिए यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और अब इसे यूएसपी के पृष्ठ 41 पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन एफएसएसएआई ने मिथाइलकोबालामिन प्रतिबंध को हटाने के लिए गजट अधिसूचना जारी करने के उद्योग के अनुरोधों को नजरअंदाज करना जारी रखा है। एक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार।

अग्रवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एफएसएसएआई को एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की अपील की, जिससे मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा,

लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिथाइलकोबालामिन को. शिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण जैसे कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मिथाइलकोबालामिन का उपयोग अल्जाइमर रोग और संधिशोथ सहित कुछ पोषण संबंधी और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। एक सहायक एजेंट के रूप में, यह तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देकर और ग्लूटामेट-प्रेरित न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोककर न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। हाल के प्रयोगात्मक और नैदानिक अध्ययनों में, साक्ष्य की कई पंक्तियों ने सुझाव दिया है कि मिथाइलकोबालामिन में एनाल्जेसिक गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिथाइलकोबालामिन ने मधुमेह न्यूरोपैथी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और नसों के दर्द में दर्द के व्यवहार को कम कर दिया। मिथाइलकोबालामिन ने तंत्रिका चालन में सुधार किया, तंत्रिका पुनर्जनन में तेजी लाई और घायल प्राथमिक संवेदी न्यूरॉन्स के एक्टोपिक सहज निर्वहन को कम किया। राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) या सहनीय ऊपरी सीमा (टीयूएल) के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। घरेलू बाजार रोगनिरोधी उपयोग के लिए 1500 एमसीजी तक के आरडीए वाले मिथाइलकोबालामिन के विभिन्न ब्रांडों से भरा पड़ा है। अग्रवाल ने कहा कि यह एफएसएसएआई की 1 एमसीजी की अनुशंसित आरडीए का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, स्वीकृत आरडीए मूल्य को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने एफएसएसएआई को बार-बार पत्र लिखकर उत्पाद पर प्रतिबंध हटाने पर प्राधिकरण की राजपत्र अधिसूचना के अभाव में मिथाइलकोबालामिन की उच्च खुराक की आसान उपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगा था। 26 दिसंबर, 2021 को फार्मास्युटिकल सलाहकार को एक संचार में, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव को खाद्य सुरक्षा और मानकों (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा के लिए भोजन) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 16 सितंबर, 2021 को अधिसूचित संशोधनों के माध्यम से उद्देश्य, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और नवीन खाद्य पदार्थ विनियम, 2016 परिणामस्वरूप, खाद्य नियामक ने मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव के लिए उत्पाद लाइसेंस जारी किए हैं। अग्रवाल ने मांग की कि एफएसएसएआई मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करे, जिससे मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की सहनीय ऊपरी सीमा पर दिशानिर्देशों का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने यह भी

डा. संजय अग्रवाल

मांग की कि एफएसएसएआई रोगनिरोधी उपयोग के लिए 500 एमसीजी तक मिथाइलकोबालामिन के आरडीए को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी करे। विटामिन बी 12 का अधिकांश हिस्सा मांसाहारी खाद्य पदार्थों से आता है। वैश्विक अनुशंसित दैनिक भत्ता 2.4 एमसीजी है। भारत में, जहां जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, आरडीए 1 एमसीजी है। न्यूरोलॉजिकल विकारों में थेरेपी और प्रोफिलैक्सिस के लिए मिथाइलकोबालामिन पर अध्ययन मिथाइलकोबालामिन के लिए एफएसएसएआई के आरडीए का खंडन करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सामान्य जीवन जीने के लिए मिथाइलकोबालामिन को प्रतिदिन 500 एमसीजी की खुराक लेनी चाहिए। न्यूरोपैथी के गंभीर मामलों में, 1,500 एमसीजी की दैनिक खुराक सुरक्षित है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क क्षय के इलाज के लिए प्रति दिन 1 मिलीग्राम की खुराक की आवश्यकता होती है।

(लेखक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार और IJM Today के प्रधान संपादक हैं)

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

...क्योंकि छिपता नहीं सच

मेरठ

दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हटा प्रतिबंध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मिथाइलकोबालामिन, जिसे विटामिन बी 12 भी कहा जाता है, पर प्रतिबंध हटाए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि, शीर्ष खाद्य नियामक ने अभी तक इस पर एक गजट अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे न्यूट्रास्युटिकल निर्माता मुश्किल में हैं।

2021 में FSSAI ने मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की। एफएसएसएआई ने 2016 में जारी एक राजपत्र के माध्यम से मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्पाद को बाद में इसकी सुरक्षा के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दिसंबर 2019 में एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संजय अग्रवाल ने कहा कि मिथाइलकोबालामिन को आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग के लिए यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और अब इसे यूएसपी के पृष्ठ 41 पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन एफएसएसएआई ने मिथाइलकोबालामिन प्रतिबंध को हटाने के लिए गजट अधिसूचना जारी करने के उद्योग के अनुरोधों को नजरअंदाज करना जारी रखा है। एक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार।

अग्रवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एफएसएसएआई को एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की अपील की, जिससे मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा,

लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिथाइलकोबालामिन को. शिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण जैसे कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मिथाइलकोबालामिन का उपयोग अल्जाइमर रोग और संधिशोथ सहित कुछ पोषण संबंधी और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। एक सहायक एजेंट के रूप में, यह तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देकर और ग्लूटामेट-प्रेरित न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोककर न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। हाल के प्रयोगात्मक और नैदानिक अध्ययनों में, साक्ष्य की कई पंक्तियों ने सुझाव दिया है कि मिथाइलकोबालामिन में एनाल्जेसिक गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिथाइलकोबालामिन ने मधुमेह न्यूरोपैथी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और नसों के दर्द में दर्द के व्यवहार को कम कर दिया। मिथाइलकोबालामिन ने तंत्रिका चालन में सुधार किया, तंत्रिका पुनर्जनन में तेजी लाई और घायल प्राथमिक संवेदी न्यूरॉन्स के एक्टोपिक सहज निर्वहन को कम किया। राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) या सहनीय ऊपरी सीमा (टीयूएल) के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। घरेलू बाजार रोगनिरोधी उपयोग के लिए 1500 एमसीजी तक के आरडीए वाले मिथाइलकोबालामिन के विभिन्न ब्रांडों से भरा पड़ा है। अग्रवाल ने कहा कि यह एफएसएसएआई की 1 एमसीजी की अनुशंसित आरडीए का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, स्वीकृत आरडीए मूल्य को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने एफएसएसएआई को बार-बार पत्र लिखकर उत्पाद पर प्रतिबंध हटाने पर प्राधिकरण की राजपत्र अधिसूचना के अभाव में मिथाइलकोबालामिन की उच्च खुराक की आसान उपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगा था। 26 दिसंबर, 2021 को फार्मास्युटिकल सलाहकार को एक संचार में, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव को खाद्य सुरक्षा और मानकों (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा के लिए भोजन) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 16 सितंबर, 2021 को अधिसूचित संशोधनों के माध्यम से उद्देश्य, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और नवीन खाद्य पदार्थ विनियम, 2016 परिणामस्वरूप, खाद्य नियामक ने मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव के लिए उत्पाद लाइसेंस जारी किए हैं। अग्रवाल ने मांग की कि एफएसएसएआई मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करे, जिससे मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की सहनीय ऊपरी सीमा पर दिशानिर्देशों का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने यह भी

मांग की कि एफएसएसएआई रोगनिरोधी उपयोग के लिए 500 एमसीजी तक मिथाइलकोबालामिन के आरडीए को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी करे। विटामिन बी 12 का अधिकांश हिस्सा मांसाहारी खाद्य पदार्थों से आता है। वैश्विक अनुशंसित दैनिक भत्ता 2।4 एमसीजी है। भारत में, जहां जनसंख्या अधिकतर शाक. ाहारी है, आरडीए 1 एमसीजी है। न्यूरोलॉजिकल विकारों में थेरेपी और प्रोफिलैक्सिस के लिए मिथाइलकोबालामिन पर अध्ययन मिथाइलकोबालामिन के लिए एफएसएसएआई के आरडीए का खंडन करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सामान्य जीवन जीने के लिए मिथाइलकोबालामिन को प्रतिदिन 500 एमसीजी की खुराक लेनी चाहिए। न्यूरोपैथी के गंभीर मामलों में, 1,500 एमसीजी की दैनिक खुराक सुरक्षित है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क क्षय के इलाज के लिए प्रति दिन 1 मिलीग्राम की खुराक की आवश्यकता होती है।

(लेखक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार और IJM Today के प्रधान संपादक हैं)

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

खबरे छुपाता नहीं, छापता है
शाह टाइम्स
...क्योंकि छिपता नही सच
लखनऊ

दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हटा प्रतिबंध

डा. संजय अग्रवाल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मिथाइलकोबालामिन, जिसे विटामिन बी 12 भी कहा जाता है, पर प्रतिबंध हटाए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है। हालांकि, शीर्ष खाद्य नियामक ने अभी तक इस पर एक गजट अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे न्यूट्रास्युटिकल निर्माता मुश्किल में हैं।

2021 में FSSAI ने मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की। एफएसएसएआई ने 2016 में जारी एक राजपत्र के माध्यम से मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्पाद को बाद में इसकी सुरक्षा के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर दिसंबर 2019 में एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। संजय अग्रवाल ने कहा कि मिथाइलकोबालामिन को आहार अनुपूरक के रूप में उपयोग के लिए यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और अब इसे यूएसपी के पृष्ठ 41 पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन एफएसएसएआई ने मिथाइलकोबालामिन प्रतिबंध को हटाने के लिए गजट अधिसूचना जारी करने के उद्योग के अनुरोधों को नजरअंदाज करना जारी रखा है। एक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार।

अग्रवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एफएसएसएआई को एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की अपील की, जिससे मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा,

लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिथाइलकोबालामिन को. शिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण जैसे कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। मिथाइलकोबालामिन का उपयोग अल्जाइमर रोग और संधिशोथ सहित कुछ पोषण संबंधी और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। एक सहायक एजेंट के रूप में, यह तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देकर और ग्लूटामेट-प्रेरित न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोककर न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। हाल के प्रयोगात्मक और नैदानिक अध्ययनों में, साक्ष्य की कई पंक्तियों ने सुझाव दिया है कि मिथाइलकोबालामिन में एनाल्जेसिक गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिथाइलकोबालामिन ने मधुमेह न्यूरोपैथी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और नसों के दर्द में दर्द के व्यवहार को कम कर दिया। मिथाइलकोबालामिन ने तंत्रिका चालन में सुधार किया, तंत्रिका पुनर्जनन में तेजी लाई और घायल प्राथमिक संवेदी न्यूरॉन्स के एक्टोपिक सहज निर्वहन को कम किया। राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) या सहनीय ऊपरी सीमा (टीयूएल) के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। घरेलू बाजार रोगनिरोधी उपयोग के लिए 1500 एमसीजी तक के आरडीए वाले मिथाइलकोबालामिन के विभिन्न ब्रांडों से भरा पड़ा है। अग्रवाल ने कहा कि यह एफएसएसएआई की 1 एमसीजी की अनुशंसित आरडीए का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, स्वीकृत आरडीए मूल्य को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने एफएसएसएआई को बार-बार पत्र लिखकर उत्पाद पर प्रतिबंध हटाने पर प्राधिकरण की राजपत्र अधिसूचना के अभाव में मिथाइलकोबालामिन की उच्च खुराक की आसान उपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगा था। 26 दिसंबर, 2021 को फार्मास्युटिकल सलाहकार को एक संचार में, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव को खाद्य सुरक्षा और मानकों (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा के लिए भोजन) के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 16 सितंबर, 2021 को अधिसूचित संशोधनों के माध्यम से उद्देश्य, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और नवीन खाद्य पदार्थ विनियम, 2016 परिणामस्वरूप, खाद्य नियामक ने मिथाइलकोबालामिन सहित सभी विटामिन बी 12 डेरिवेटिव के लिए उत्पाद लाइसेंस जारी किए हैं। अग्रवाल ने मांग की कि एफएसएसएआई मिथाइलकोबालामिन पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करे, जिससे मिथाइलकोबालामिन युक्त उत्पादों की सहनीय ऊपरी सीमा पर दिशानिर्देशों का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने यह भी मांग की कि एफएसएसएआई रोगनिरोधी उपयोग के लिए 500 एमसीजी तक मिथाइलकोबालामिन के आरडीए को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी करे। विटामिन बी 12 का अधिकांश हिस्सा मांसाहारी खाद्य पदार्थों से आता है। वैश्विक अनुशंसित दैनिक भत्ता 2.4 एमसीजी है। भारत में, जहां जनसंख्या अधिकतर शाकाहारी है, आरडीए 1 एमसीजी है। न्यूरोलॉजिकल विकारों में थेरेपी और प्रोफिलैक्सिस के लिए मिथाइलकोबालामिन पर अध्ययन मिथाइलकोबालामिन के लिए एफएसएसएआई के आरडीए का खंडन करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, सामान्य जीवन जीने के लिए मिथाइलकोबालामिन को प्रतिदिन 500 एमसीजी की खुराक लेनी चाहिए। न्यूरोपैथी के गंभीर मामलों में, 1,500 एमसीजी की दैनिक खुराक सुरक्षित है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क क्षय के इलाज के लिए प्रति दिन 1 मिलीग्राम की खुराक की आवश्यकता होती है।

(लेखक अग्रणी फार्मास्युटिकल सलाहकार और IJM Today के प्रधान संपादक हैं)

(ये लेखक के निजी विचार हैं)